्मेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबुरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो संकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय

उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कान्नी कार्यवाही करें जिसकें सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सूना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला

जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्युरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल

शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियों में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर दवारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल

प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके संलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियॉ/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो

व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जॅयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी

ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सँकता है साथ ही राजस्थान उच्च

न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सूना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर दवारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन

कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवितित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय मे सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां

सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की क्छ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि

जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर दवारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत्

प्राप्त ह्आ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवितित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ज्ड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियोँ/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा

प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमॅरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करॅवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर काननी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को

श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश

पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानृनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् राजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा

जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलॉनिया एवं जमादार श्री पंन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोटे संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्राविलयों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ

आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्युरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच

के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपूर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में

भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सूना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित कियाँ कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट

संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोटे संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय मे सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे ह्ए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमॅरों की रिकॉर्डिग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल

निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सूना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयप्र में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्तित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनकाँ

पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके संलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलॉनिया एवं जमादार श्री पॅन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह

रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत

एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्युरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियॉ/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पंन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गईं थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज

ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड

मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर प्नः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार,

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय मे सनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनकाँ पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके संलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्युरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार

के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्राविलयों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयप्र में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयप्र द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित कियाँ कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है

और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतू प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा ह्आ था। जिसमें

माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजब्री थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिवंतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कान्नी कार्यवाही करें जिसकें सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर दवारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जॅयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में

जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल दवारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी दवारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो म्ख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह

लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमॅरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयप्र के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयप्र की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त

घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय मे सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्राविलयों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और

कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकेँ सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्युरो मुख्यालय दवारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर स्ना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्त्त डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्युरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के दवारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और स्नाई दे रहा है तथा लंच के बाद स्बह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक

है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर दवारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे स्नवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश स्बह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिएँ पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थानँ उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करेंवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयप्र में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर स्रक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसकेँ सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां दवारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेत् प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के दवारा प्रस्तृत डीवीडी को चलाकर सूना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियों/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तृत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी दवारा प्रस्तृत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयप्र के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश दवारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता दवारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के दवारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसॅलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी दवारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/-रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पूनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उँच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग त्रंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अन्संधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेत् कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल दवारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अन्संधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त

ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च 12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)): First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)): S.No. (क्र.सं.) S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) 3 N